रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17112026-277976
CG-DL-E-17112026-277976

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 340] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 10, 2026/कार्तिक 19, 1948
No. 340] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 10, 2026/KARTIKA 19, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2026

भारत सरकार द्वारा पूर्व-नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (पूर्व-एनईएलपी) अन्वेषण ब्लॉकों को प्रदान करने वाले भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित उत्पादन साझाकरण अनुबंधों (पीएससी) के विस्तार के अनुदान के लिए नीति।

फा. सं. अन्वेषण-11019(18)/33/2026-ओएनजी-IV.— भारत सरकार (इसके बाद सरकार के रूप में संदर्भित) ने पहले दिनांक 07.04.2017 की एक नीति को मंजूरी दी थी, जिसके तहत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित पीएससीज को विस्तार देने के लिए एक पारदर्शी और विस्तृत ढांचा बनाया गया था, ताकि पूर्व-नयी अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (प्री-एनईएलपी) अन्वेषण ब्लॉकों को विस्तार दिया जा सके।।तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन अधिनियम, 2025 और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 2025 की अधिसूचना के परिणामस्वरूप, अब नीति को संशोधित किया गया है। इस संशोधित नीति से संविदाकार (प्रचालकों /पीआई धारकों) को हाइड्रोकार्बन के इष्टतम दोहन के लिए इन क्षेत्रों में अपने निवेश की योजना बनाने में मदद मिलेगी। नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: -

1. अनुबंध के विस्तार के लिए अनुरोध का प्रस्तुतीकरण, विचार और अनुमोदन

1.1 संविदाकार को अनुबंध के विस्तार के लिए प्रचालन समिति (ओ. सी.) द्वारा विधिवत अनुमोदित आवेदन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एम. ओ. पी. एन. जी.) को आधे कार्यकाल (या अनुबंध की विस्तारित अवधि) की

समाप्ति के बाद किसी भी समय, लेकिन अनुबंध की समाप्ति तिथि से कम से कम 2 साल पहले, हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डी. जी. एच.) को एक प्रति के साथ प्रस्तुत करना चाहिए।

1.2 डीजीएच संविदाकार द्वारा आवेदन जमा करने के 6 महीने के भीतर एमओपीएनजी को सिफारिश करेगा।

1.3 डीजीएच से प्रस्ताव प्राप्त होने के 3 महीने के भीतर विस्तार के अनुरोध पर सरकार निर्णय लेगी।

2. विस्तार के लिए राजकोषीय पैरामीटर

2.1 **सरकारी हिस्सा:** मूल पीएससी अवधि से परे अनुबंध की विस्तारित अवधि के दौरान लाभ पेट्रोलियम (पीपी) का सरकारी हिस्सा निम्नानुसार होगा:

पीएससी की विस्तारित अवधि (पीएससी की मूल अवधि से आगे)	भारत सरकार की पीपी दर
विस्तार का वर्ष 1 से वर्ष 10	सामान्य पीएससी प्रावधानों का उपयोग करके गणना के अनुसार हिस्से से 10% अधिक
विस्तार का वर्ष 11 से वर्ष 20	सामान्य पीएससी प्रावधानों का उपयोग करके गणना के अनुसार हिस्से से 5% अधिक
विस्तार का वर्ष 21 से वर्ष 30	सामान्य पीएससी प्रावधानों का उपयोग करके गणना के अनुसार हिस्से से 2.50% अधिक
30 वर्ष से अधिक	सामान्य पीएससी प्रावधानों का उपयोग कर गणना किए गए हिस्से के अनुसार

2.2. अनुबंध की विस्तारित अवधि के दौरान प्रोफिट पेट्रोलियम में सरकार का हिस्सा निवेश गुणक (आईएम) / कर पश्चात प्रतिफल दर (पीटीआरआर) के आधार पर वर्ष-दर-वर्ष अलग-अलग हो सकता है।

(स्पष्टता के लिए, यदि अनुबंध की विस्तारित अवधि के वर्ष 1 से वर्ष 10 के दौरान किसी भी वर्ष में सामान्य पीएससी प्रावधानों का उपयोग करके गणना की गई प्रोफिट पेट्रोलियम का सरकारी हिस्सा 20% है, तो उस अवधि के दौरान प्रोफिट पेट्रोलियम का देय सरकारी हिस्सा 30% होगा। (20% + 10%))।

2.3 **रॉयल्टी और उपकर:** अनुबंध की विस्तारित अवधि के दौरान, नामांकन व्यवस्था की प्रचलित दरों पर रॉयल्टी और उपकर देय होगा। रॉयल्टी और उपकर सभी ठेकेदारों द्वारा उनके भाग लेने वाले हित के अनुपात में देय होगा।

3. मूल्यांकन के लिए आवश्यक शर्तें

3.1 आवेदन की तिथि पर वैध खनन/पेट्रोलियम पट्टे वाले निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए विस्तार के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है:

(क) क्षेत्र पहले से ही उत्पादन के अधीन हैं।

(ख) पीएससी के विस्तार का अनुबंध क्षेत्र वर्तमान पीएससी अवधि की समाप्ति से पहले निर्धारित किया जाएगा। विस्तार के लिए संविदा क्षेत्र को सरल ज्यामितीय आकार में निर्धारित किया जाएगा जो मौजूदा विकास योजनाओं के हिस्से के रूप में उत्पादन/इंजेक्शन पर स्थित कूपों और संविदाकार द्वारा प्रबंधन समिति (एमसी) को प्रस्तुत की गई नई विकास योजनाओं में शामिल कूपों द्वारा शामिल किए गए क्षेत्र के आधार पर होगा।

(ग) यदि आवश्यक हो तो संविदाकार एक बैंक गारंटी (बीजी) द्वारा समर्थित, पूर्णता के लिए विशिष्ट समय कार्यक्रम के साथ, दृढ़ अन्वेषण कार्य कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकता है, उन क्षेत्रों पर विचार करने के लिए जो ऊपर शामिल नहीं किए गए हैं, परंतु मौजूदा संविदा क्षेत्र के भीतर हैं, जिनकी समीक्षा और अंतिम रूप डीजीएच द्वारा दिया जाएगा।

3.2 अनुबंध विस्तार के लिए आवेदन में निम्नलिखित शर्तों का पूरा होनी चाहिए

(क) संविदाकार को तीसरे पक्ष के भंडार ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से शेष पुनःप्राप्त करने योग्य भंडार की उपलब्धता प्रदर्शित करने में सक्षम होना चाहिए, जिसे विस्तार के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए 'भंडार' की परिभाषा पेट्रोलियम संसाधन प्रबंधन प्रणाली (पीआरएमएस) के दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।

(ख) यदि विस्तार के लिए अनुरोध किसी भी विकास क्षेत्र के शेष 2पी/पी50 (2पी/पी50 के भंडार का अर्थ है सिद्ध और संभावित भंडार जिनमें उत्पादन की 50% निश्चितता है) पुनःप्राप्त करने योग्य भंडार [तेल + गैस के तेल समतुल्य (ओ+ओईजी)] 5 एमएमबीबीएल से अधिक हैं, तो तीसरे पक्ष के भंडार का लेखा-परीक्षण डीजीएच द्वारा रखी गई सूचीबद्ध सूची के अनुसार और समय-समय पर संशोधित किए जाने के अनुसार अंतरराष्ट्रीय ख्याति के सलाहकार द्वारा किया जाना चाहिए।

(ग) संविदाकार शेष भंडार के दोहन के लिए, विस्तार आवेदन जमा करने के समय प्रस्तावित विस्तार अवधि के लिए क्षेत्र विकास योजना/संशोधित क्षेत्र विकास योजना (आरएफडीपी) प्रस्तुत करेगा। इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे, लेकिन निम्नलिखित तक सीमित नहीं होंगे:

i. इन प्लेस-ऑयल इनिशियली इन प्लेस (ओआईआईपी) और गैस इनिशियली इन प्लेस (जीआईआईपी)

ii. शेष 2 पी / पी 50 वसूली योग्य भंडार

iii. रिजर्वायर सिमुलेशन अध्ययन के आधार पर भविष्य की उत्पादन प्रोफ़ाइल

iv. प्रस्तावित कार्य कार्यक्रम और प्रस्तावित विस्तार अवधि के लिए अनुमानित व्यय।

(घ) इस तरह के आरएफडीपी पर प्रबंधन समिति (एमसी) विचार जहां उचित समझा जाए, प्रबंधन समिति ऐसी विकास योजना (वर्तमान पीएससी से आगे की अवधि सहित) के लिए सशर्त स्वीकृति प्रदान करेगी, इस शर्त के अधीन कि सरकार द्वारा इस नीति के तहत पीएससी के विस्तार की अनुमति दी जाए। एमसी द्वारा इस तरह की सशर्त स्वीकृति पीएससी अवधि में विस्तार के लिए संविदाकार को कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

(ङ) आवेदन जमा करते समय ऑपरेटर को तकनीकी विशेषज्ञता का प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए।

(च) संविदाकार को विस्तार हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय, आरंभ से लेकर अब तक वेधित कूपों और उत्पादन (योजनाबद्ध बनाम वास्तविक) की संचयी उपलब्धि प्रस्तुत करनी चाहिए।

(छ) सरकार को देय सभी वैधानिक देय राशियाँ और भुगतान चुका दिए जाने चाहिए और संविदाकार किसी भी कारण से सरकार का डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए। विस्तार अनुरोधों पर विचार करते हुए सरकार लंबित मध्यस्थता को भी ध्यान में रखेगी।

4. अनुरोध के मूल्यांकन के लिए मानदंड

4.1 विस्तार के अनुरोध पर अनुकूल रूप से विचार करने के लिए संविदाकार का पिछला प्रदर्शन संतोषजनक होना चाहिए।

4.2 पिछले प्रदर्शन को निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर आंका जाएगा:

(क) संविदाकार ने पिछले 10 वर्षों में आवेदन की तारीख तक एमसी द्वारा अनुमोदित क्षेत्र विकास योजना के कम से कम 70% विकास कूपों में ड्रिलिंग की होनी चाहिए

या

संविदाकार पिछले 10 वर्षों के पहले अनुमोदित एफडीपी या अनुमोदित कार्य कार्यक्रम के संदर्भ में आवेदन तिथि तक प्रतिबद्ध उत्पादन का 70% प्राप्त किया होना चाहिए।

(ख) संविदाकार को पीएससी के अनुसार साइट रिस्टोरेशन फंड (एसआरएफ) और साइट रिस्टोरेशन प्लान (एसआरपी) के निर्माण के प्रावधानों का पालन करना चाहिए। जहां भी पीएससी एसआरएफ और एसआरपी के लिए प्रदान नहीं करता है, संविदाकार को विस्तारित अनुबंध के एक भाग के रूप में एक एसआरएफ और एक एसआरपी का प्रस्ताव देना चाहिए।

5. नई बोलियों को आमंत्रित करने के लिए सरकार को विकल्प: उपरोक्त खंड 3 और 4 में उल्लिखित उपरोक्त में से किसी भी शर्त का पालन करने में विफलता की स्थिति में, सरकार के पास क्षेत्र के आगे के विकास के लिए नई बोलियों को आमंत्रित करने और सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी बोली के लिए क्षेत्र को पुरस्कृत करने का विकल्प होगा।

6. मध्यस्थता का स्थान: संविदाकार को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 2025 के नियम 51 के अनुसार मध्यस्थता का स्थान चुनने की अनुमति होगी।

7. विस्तार की अवधि

7.1 इन पीएससी के लिए विस्तार पर तेल और गैस दोनों क्षेत्रों के लिए क्षेत्र के आर्थिक जीवन के अंत तक तीस वर्ष से अधिक की एक या अधिक किश्तों में विचार किया जाएगा।

7.2 अभिव्यक्ति "क्षेत्र के आर्थिक जीवन का अंत" का अर्थ उस समय के बाद होगा जिसके आगे निरंतर उत्पादन को व्यावसायिक रूप से अव्यवहार्य होने के लिए वस्तुनिष्ठ रूप से प्रदर्शित किया जा सके।

8. बैंक गारंटी प्रस्तुत करना

8.1 संविदाकार, प्रबंधन समिति द्वारा स्वीकृत कार्य कार्यक्रम के संबंध में, जो संविदाकार द्वारा अनुबंध क्षेत्र में किया जाना है, कुल अनुमानित वार्षिक व्यय के 10% के बराबर बैंक गारंटी (बीजी) प्रदान करेगा।

8.2 यदि संविदाकार स्वीकृत कार्य कार्यक्रम को पूरा करने में विफल रहता है, तो एमसी द्वारा गतिविधि को पूरा करने के लिए एक वर्ष तक की अनुग्रह अवधि दी जा सकती है, जो संविदाकार द्वारा अनुग्रह अवधि की अवधि के लिए बैंक गारंटी की वैधता का विस्तार करने और अगले वर्ष के कार्य कार्यक्रम में बाधा नहीं डालने के अधीन है।

8.3 इसके अलावा, संविदाकार को आगामी वर्ष के लिए वार्षिक कार्य कार्यक्रम और उस वर्ष के बजट के सापेक्ष एक और नई बैंक गारंटी जमा करनी होगी।

9. अन्य शर्तें

9.1 पूर्ववर्ती नीति रूपरेखा दिनांक 07 अप्रैल 2017 के अनुसार दिए गए उत्पादन साझाकरण अनुबंध (पी. एस. सी.) का कोई भी विस्तार अपने संबंधित निर्धारित समाप्ति तिथि तक वैध रहेगा, जो विस्तार के तहत निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होगा।

9.2 मूल पीएससी अवधि के बाद पहली बार विस्तार के लिए या वर्तमान में स्वीकृत विस्तार अवधि के बाद आगे विस्तार के लिए कोई भी आवेदन विशेष रूप से इस नीति दस्तावेज के प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

9.3 विस्तार प्रदान करते समय, सरकार को किसी विशेष पीएससी के लिए विशिष्ट किसी भी अतिरिक्त शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार होगा।

9.4 सरकार के पास बिना कोई कारण बताए पीएससी को आगे बढ़ाने से इनकार करने का अधिकार होगा।

9.5 इस नीति में निर्धारित शर्त पीएससी के मौजूदा प्रावधानों को रद्द कर देगी।

9.6 यदि कोई संविदाकार इस नीति से सहमत नहीं है तो क्षेत्र को यथास्थिति के आधार पर पुन: बोली लगाने के लिए माना जाएगा।

9.7 सरकार को राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एनओसीज) यानी ओएनजीसी या ओआईएल को क्षेत्र सौंपने का भी अधिकार होगा।

10. ब्लॉकों की सूचीः 7 पूर्व-एनईएलपी अन्वेषण ब्लॉकों की सूची अनुलग्नक-क में दी गई है।

विनोद शेषन, संयुक्त सचिव

अनुलग्नक-क

स्थान सहित 7 पूर्व-नेल्प अन्वेषण ब्लॉकों की सूची

क्रमांक	**ब्लॉक का नाम**	**ब्लॉक का स्थान**
1	आरजे-ओएन-90/1	राजस्थान
2	एसजीएल (आरजे-ओएन/6)	राजस्थान
3	डीरोक एएपी-ऑन-94/1	असम
4.	तारापुर (सीबी-ओएन/2)	गुजरात
5	पलेज-प्रमोद (सीबी-ओएन/7)	गुजरात
6	सीबी-ऑन/3	गुजरात
7	एए-ओएनजे/2	असम-मिजोरम

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 2026

Policy for the Grant of Extension to Production Sharing Contracts (PSC) signed by the Government of India awarding Pre-New Exploration Licensing Policy (Pre-NELP) Exploration Blocks.

F. No. Expl-11019(18)/33/2026-ONG-IV.— The Government of India (*hereinafter referred as Government*) had earlier approved a policy dated 07.04.2017 for granting extensions to the PSCs signed by Government awarding Pre-New Exploration Licensing Policy (Pre-NELP) Exploration Blocks, to have a transparent and defined framework for granting extensions. Consequent upon the Notification of Oilfields (Regulation and Development) Amendment Act, 2025 and Petroleum and Natural Gas Rules, 2025, the Policy is now revised. This revised Policy will help Contractors (operators/PI holders) in planning their investments in these fields for optimal exploitation of the hydrocarbons. The salient features of the policy are as follows:-

1. SUBMISSION, CONSIDERATION AND APPROVAL OF REQUEST FOR EXTENSION OF CONTRACT

1.1 The Contractor should submit the application duly approved by the Operating Committee (OC) for extension of Contract to Ministry of Petroleum & Natural Gas (MoPNG) at any time after the expiry of half of the term (*or the extended term of the Contract*) but at least 2 years prior to the expiry date of Contract, with a copy to Directorate General of Hydrocarbons (DGH).

1.2 DGH will make a recommendation to MoPNG within 6 months of submission of application by the Contractor.

1.3 The Government will take a decision on the request for extension within 3 months of receipt of the proposal from DGH.

2. FISCAL PARAMETERS FOR EXTENSION

2.1 **Government Share**: The Government share of Profit Petroleum (PP) during the extended period of contract beyond the original PSC period shall be as under:

Extended period of PSC (beyond original term of PSC)	Rate of GoI PP
Year 1 to year 10 of extension	**10% higher than** the share as calculated using the normal PSC provisions
Year 11 to year 20 of extension	**5% higher than** the share as calculated using the normal PSC provisions
Year 21 to year 30 of extension	**2.50% higher than** the share as calculated using the normal PSC provisions
Beyond year 30	**As per the share** as calculated using the normal PSC provisions

2.2 Government share of Profit Petroleum during the extended period of contract may vary from year to year based on Investment Multiple (IM) /Post Tax Rate of Return (PTRR).

(For the sake of clarity, if the Government share of Profit Petroleum as calculated using the normal PSC provisions in any year during year 1 to year 10 of the extended period of contract is say 20%, the payable Government share of Profit Petroleum during that period shall be 30% (20%+10%)).

2.3 **Royalty and Cess**: During the extended period of contract, the royalty and cess shall be payable at prevailing rates of nomination regime. Royalty and cess will be payable by all the Contractors in proportion *to* their Participating Interest.

3. PREREQUISITES FOR EVALUATION

3.1 The proposal for extension can be considered for the following areas **having valid mining/ petroleum lease** on the date of application:

(a) Fields already under Production.

(b) The contract area of extension of PSC will be determined prior to the expiry of current PSC period. Such area for extension will be determined in simple geometric shape based on the area covered by wells which are on production/injection as part of existing development plans and wells in new development plans submitted to Management Committee (MC) by the Contractor.

(c) Contractor may submit firm exploration work programme, if required, backed by a Bank Guarantee (BG) with specific time schedule for completion, for consideration of area which are not covered as above, but within the existing contract area which will be reviewed and finalized by DGH.

3.2 The application for contract extension should fulfil the following conditions:

(a) Contractor should be able to demonstrate the availability of balance recoverable Reserves through a Third Party Reserves Audit report, to be submitted along with the application for extension. The definition of 'Reserves' for the purpose would be as per Petroleum Resource Management System (PRMS) guidelines.

(b) If the remaining 2P/P50 *(2P/P50 reserves implies proven plus probable reserves having a 50% certainty of being produced)* recoverable reserves [Oil+ Oil Equivalent of Gas (O+OEG)] of any development area requested for extension are more than 5 MMBBL, the Third Party Reserves Audit needs to be done by a consultant of international repute as per the empanelled list maintained by DGH and as amended from time to time.

(c) Contractor would submit Field Development Plan/ Revised Field Development Plan (RFDP) for the proposed extension period at the time of submission of extension application, for exploitation of the remaining reserves. This will include, but not be limited to, the following:

i. In place-Oil Initially in Place (OIIP) and Gas Initially in Place (GIIP)
ii. Balance 2P/P50 Recoverable Reserves
iii. Future Production Profile based on Reservoir Simulation Studies
iv. Proposed Work Programme and the estimated expenditure for the proposed extension period.

(d) Such RFDP will be considered by the Management Committee (MC). Where thought fit, the MC will grant conditional approval for such development plan (*including the period beyond the current PSC*), subject to the condition of extension of PSC being granted by the Government under this policy. Such conditional approval by MC will not confer any right on the Contractor for extension in PSC period.

(e) While submitting the application, the operator should submit proof of technical expertise.

(f) The Contractor, while submitting the application for extension should submit cumulative achievement of drilled wells and production (*planned vs actual*) since inception.

(g) All the statutory dues and payments due to Government should have been cleared and the Contractor should not be a defaulter to the Government on any account. Government would also take into account pending arbitration while considering extension requests.

4. CRITERIA FOR EVALUATION OF REQUEST

4.1 The past performance of the Contractor should be satisfactory for the request of extension to be favourably considered.

4.2 The past performance would be judged on the basis of following criteria:

(a) Contractor should have drilled at least 70% of the development wells of the field development plan as approved by the MC as on date of application for last 10 years,

OR

Contractor must have achieved 70% of the committed production as on date of application with reference to the earlier approved FOP or approved Work Programme for the last 10 years.

(b) Contractor should have complied with the provisions of creation of Site Restoration Fund (SRF) and Site Restoration Plan (SRP) as per the PSC. Wherever PSC does not provide for SRF and SRP, the Contractor should propose a SRF and a SRP, as a part of extended contract.

5. OPTION TO GOVERNMENT TO INVITE FRESH BIDS: In the event of failure to comply with any of the above conditions, mentioned in clauses 3 and 4 above, Government shall have the option to invite fresh bids for further development of the area and to award the field to the most competitive bid.

6. SEAT OF ARBITRATION: The Contractor shall be allowed to choose the seat of arbitration as per **Rule 51** of the Petroleum and Natural Gas Rules, 2025.

7. DURATION OF EXTENSION

7.1 The extension for these PSCs would be considered both for oil and gas fields till the end of the economic life of the field in one or more instalments of not more than thirty years each.

7.2 The expression *"end of economic life of the field"* shall mean the point in time beyond which continued production is objectively demonstrated to be commercially unviable.

8. SUBMISSION OF BANK GUARANTEE

8.1 Contractor shall provide Bank Guarantee (BG) equal to 10% of the total estimated annual expenditure in respect of the Work Programme approved by the MC for being undertaken by the Contractor in the contract area.

8.2 In case the Contractor fails to complete the approved work program, grace period of up to one year can be granted by the MC to complete the activity, subject to the Contractor extending the validity of the Bank Guarantee for the duration of grace period and not hampering the next year's work program.

8.3 In addition, the Contractor will have to submit another fresh Bank Guarantee for the forthcoming year against the annual work programme and budget of that year.

9. OTHER CONDITIONS

9.1 Any extension of a Production Sharing Contract (PSC) granted pursuant to the erstwhile policy framework dated 07 April 2017 shall subsist and remain valid until its respective scheduled expiration date, subject to the same terms and conditions prescribed under the extension.

9.2 Any application for the first time extension beyond original PSC period or for further extension beyond the currently approved extension period will be governed exclusively by the provisions of this policy document.

9.3 At the time of granting extension, the Government shall have the right to stipulate any further conditions specific to any particular PSC.

9.4 Government shall reserve the right not to extend a PSC without assigning any reason thereof.

9.5 The condition stipulated in this policy will override the existing provisions of the PSC.

9.6 In case any Contractor is not agreeable to this policy then the field will be considered for rebidding, on as-is where-is basis.

9.7 Government would also have the right to assign the field to National Oil Companies (NOCs) i.e. ONGC or OIL.

10. LIST OF BLOCKS: The list of 7 Pre-NELP Exploration Blocks is placed at Annexure-A.

VINOD SESHAN, Jt. Secy.

ANNEXURE-A

LIST OF 7 PRE-NELP EXPLORATION BLOCKS WITH LOCATION

S.No.	Block Name	Block Location
1	RJ-ON-90/1	Rajasthan
2	SGL (RJ-ON/6)	Rajasthan
3	Dirok AAP-ON-94/1	Assam
4.	Tarapur (CB-ON/2)	Gujarat
5	Palej-Pramoda (CB-ON/7)	Gujarat
6	CB-ON/3	Gujarat
7	AA-ONJ/2	Assam-Mizoram

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA